



कार्यालय-वन संरक्षक, बस्ती वृत्त, बस्ती

E-Mail - ID : cfbasti1947@gmail.com

Office : Conservator of Forests Basti Circle-Basti, Near-Toll Plaza, Marwa Nagar
Post-Purani Basti, Distt.Basti Pin-272002

पत्रांक : 3116 /33-1 बस्ती, दिनांक, जून 22 /2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :

अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ का पत्र संख्या-8बी/यू०पी०/०३/३०३/२०२२/ एफ०सी०, दिनांक 12.12.2022 एवं आपका पृष्ठांकन पत्र संख्या -2062/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/Road/151936/2022, दिनांक 19.12.2022 एवं पत्र सं०-3438/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/Road/151936/2022, दिनांक 01.05.2023,

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से विषयगत प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के पत्र सं०-5053/33-1 दिनांक 22.06.2023 द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे सहमति/संस्तुति सहित 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :-

1. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती के पत्र सं०-5053/33-1 दिनांक 22.06.2023 की छाया प्रति 03 प्रति में।

भवदीय

(आनन्द प्रकाश पाठक)

वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

संख्या : 3116 /उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या वन प्रभाग, अयोध्या।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।
4. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती
5. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

संलग्नक :-उपरोक्तानुसार।

(आनन्द प्रकाश पाठक)

वन संरक्षक
बस्ती वृत्त, बस्ती

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बस्ती।

पत्रांक- 5053 / 33-1 बस्ती, दिनांक, जून 22 / 2023

सेवा में

वन संरक्षक,
बस्ती वृत्त बस्ती।

विषय:- अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में अयोध्या वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 8बी/यू.पी./06/303/2022/एफ.सी.दिनांक 12.12.2022, एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक 2062/11-सी- FP/UP/ Road/ 151936/2022 दिनांक 19.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी अयोध्या (नोडल) का पत्रांक 4409/14-4 दिनांक 11.06.2023

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निम्न प्रकार बिन्दुवार निराकरण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Sl. No.	EDS Observation	Compliance / Reply
1	As per Geo-referenced map and SOI toposheet it seems that, incomplete .kml file of the area proposed for diversion has been uploaded on the PARIVESH Portal. According to the uploaded .kml file, the area proposed for diversion is 0.31 ha, which is not matching with the proposal area. This needs rectification.	The proposed area for diversion is 2.48 ha (1.586 ha under Ayodhya Forest Division, 0.513 ha under Social Forestry Division, Basti and 0.381 ha under Gonda Forest Division). KML file matching with the proposed area has been uploaded on PARIVESH portal by user agency.
2	As per the proposal, the CA land of Ayodhya district is proposed in the Bakchuna RF, but according to the DSS, the proposed CA land falls outside the RF area. As per the Google earth imageries dated 09-03-2022, agriculture activity has also been observed on that CA site. This needs clarification/rectification.	Related to Forest Division, Ayodhya.
3	As per the PARIVESH Portal, the uploaded SOI toposheet of the proposed area for diversion and CA land area is not clearly visible. This needs to be re-uploaded with high-dpi.	A high-resolution SOI Toposheet map of proposed area for diversion has been uploaded on PARIVESH portal by User Agency. A clearly visible SOI Toposheet map of CA area has been uploaded in Part II.
4	As per the PARIVESH Portal, the uploaded Geo-referenced map of the proposed CA land of Gonda range is not clearly visible. This needs to be re-uploaded with high-dpi.	Related to Forest Division, Gonda.

5	The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 5.43 ha. The proposed CA land of the Tikeri Range of 1.50 ha is not suitable for plantation due to dense forest cover.	Related to Forest Division, Gonda.
6	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFOs of respective division needs to be submitted.	Muck Disposal Certificate approved by this division has already been provided with the hard copy of proposal.
7	Plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.	Under Basti Forest Division, plantation has been proposed along the roadside.
8	NOC from concerned department (like Railway etc.) needs to be submitted.	NOC from concerned department (like railway etc.) is not required from User Agency as no railway line is being affected in this division.

भवदीय

(नवीन प्रकाश शाक्य)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बस्ती

संख्या / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या को उनके संदर्भित पत्र 4409/14-4 दिनांक 11.06.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन प्रकाश शाक्य)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी वन प्रभाग बस्ती